

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठक में केजरीवाल को झटका ग्यारह अधिकारियों के तबादले और तैनाती का प्रस्ताव खारिज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

केंद्र के अध्यादेश को लेकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिंबित 11 अधिकारियों के तबादले व तैनाती का प्रस्ताव दिया था, जिसे नामंजूर कर दिया गया। यह बैठक 29 जून को हुई थी। बैठक के विवरण को अंतिम रूप देते समय मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव ने एकमत होकर मुख्यमंत्री के सभी निर्णयों को पलट दिया। इस साल 19 मई को केंद्र ने एक अध्यादेश जारी कर दिल्ली में सेवारत अधिकारियों के तबादले व तैनाती का एकाधिकार मुख्यमंत्री से लेकर उनकी अध्यक्षता में गठित सिविल सेवा प्राधिकरण को दे दिया था। बहरहाल, इसपर दिल्ली सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। उसने कहा कि 29 जून की बैठक के दौरान केजरीवाल

‘एनसीसीएसए पूरी तरह से मजाक बना’

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने रविवार को कहा कि अध्यादेश के माध्यम से केंद्र द्वारा स्थापित सिविल सेवा प्राधिकरण को पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है, जिससे नौकरशाहों को निर्वाचित मुख्यमंत्री के निर्णयों को पलटने की अनुमति मिल गई है और वे अपनी मर्जी चला रहे हैं। यह बयान राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की दूसरी बैठक के दो दिनों बाद आया। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि बैठक के दौरान दो सदस्यों-नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रुख का विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में उनके फैसले रद्द कर दिए। सीएमओ ने बयान में कहा कि हालांकि, इस साधारण बहुमत ने नौकरशाहों को मुख्यमंत्री के फैसलों को पलटने में सक्षम बना दिया है, जिससे उन्हें प्राधिकरण के संचालन पर अनियंत्रित शक्ति मिल गई है। नतीजतन, चुनी हुई सरकार और दिल्ली के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री की आवाज एनसीसीएसए के भीतर अल्पमत में हो गई है।

ने लिंबित स्थानांतरण-पदस्थापना प्रस्तावों पर चिंता व्यक्त की और महिला अधिकारियों के स्थानांतरण के अनुरोध के संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिसे नहीं माना गया। तीन सदस्यीय एनसीसीएसए की स्थापना 19 मई को केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के

माध्यम से की गई थी। दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए इसकी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, जबकि सदस्य के रूप में मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) शामिल हैं। इसे साधारण बहुमत से निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

सड़क से हटाए गए मजार और मंदिर सहारनपुर पुल के वास्ते सड़क चौड़ी करने के लिए उठाया गया कदम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जुलाई।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भजनपुरा चौक पर एक पुल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच एक मंदिर और एक मजार को रविवार सुबह हटा दिया गया। जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ढांचों को हटाने का फैसला कुछ दिनों पहले एक 'धार्मिक समिति' की बैठक में लिया गया था और स्थानीय नेताओं एवं लोगों के साथ उचित संवाद किया गया था। रविवार को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कुछ निर्माण विभाग (पीडब्ल्यू) द्वारा ढांचों को हटाए जाने के बाद कुछ देर हंगामा हुआ लेकिन बाद में शांत हो गया।

जिला पुलिस उपायुक्त जाय टिकी ने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया। टिकी ने कहा कि भजनपुरा चौक पर सड़क के एक तरफ हनुमान मंदिर था और दूसरी मजार थी और दोनों ढांचों को सहारनपुर फ्लाईओवर के वास्ते सड़क चौड़ी करने के लिए हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी योजना कुछ दिन पहले बनाई गई थी लेकिन स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से तैयारी और जरूरी इंतजाम करने के लिए कुछ वक्त मांगा था। उपायुक्त ने कहा कि रविवार को हमने सबसे बात की और उनके साथ उचित संवाद करने के

धार्मिक स्थलों के तोड़े जाने पर सियासत तेज

दिल्ली में मंदिरों के अवैध हिस्से के तोड़े जाने पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है वहीं हिंदू फ्रंट ने दिल्ली सरकार को धरौटा दिया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उपराज्यपाल पर हमला बोला। उन्होंने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का जो आपका निर्णय, वो आप वापस ले लें। परंतु फिर से आपके आदेश पर भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया गया है। आतिशी ने 22 जून को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों को तोड़ने का फैसला वापस लेना का आग्रह किया था। आप विधायक कुलदीप कुमार का कहना है कि भाजपा के इशारे पर उपराज्यपाल दिल्ली में प्राचीन मंदिरों को तुड़वा रहे हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने मंदिर स्थल पहुंच कर कहा कि केजरीवाल की दिल्ली सरकार हमेशा से मुसलिम तुष्टिकरण कर रही है। भजनपुरा चौक पर लगभग 60 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को इसी लिए तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने हनुमान मंदिर को इसलिए तोड़ा कि उनका मुसलिम वोट बैंक मजार तोड़ने से कही नाराज न हो जाए।

बाद सब लोगों के सहयोग से धार्मिक ढांचों को हटा दिया गया। धार्मिक ढांचे हटाने से पहले कुछ श्रद्धालु आए थे और उन्होंने पूजा भी की। मंदिर को पुजारी ने स्वयं ही हटा लिया। पुलिस ने कहा कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। 2020 में इलाके में दंगे हुए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में मंदिर के पास फुटपाथ पर अतिक्रमण करके लगाई गई ग्रील को 22 जून को कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों और प्राधिकारियों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर अफवाह फैली थी कि अधिकारी मंदिर तोड़ने पहुंचे हैं।

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

75
आजादी का अमृत महोत्सव

नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तथा पुस्तकालय

द्वारा
मतदाताओं के बहुमत का निर्माण :
लोक सभा चुनाव, 2009-2019 के लिये पोलिंग बूथ के विश्लेषण डैटा पर
प्रोफे. प्रदीप के. छिब्बर
राजनीति शास्त्र विभाग
बर्केले रिसर्च, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय
द्वारा
मंगलवार, 4 जुलाई, 2023 को 3.00 बजे अप. में सार्वजनिक व्याख्यायान में आप सभी सादर आमंत्रित हैं
स्थान :
सैमिनार कक्ष, पुस्तकालय भवन
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तथा पुस्तकालय
आप सभी का स्वागत है।
ईमेल सूची में अपना नाम शामिल कराने के इच्छुक व्यक्ति कृपया ccs2nmml@gmail.com पर हमें ईमेल करें
ऑनकैजल पेपर:
http://nehruememorial.nic.in/publication
व्याख्यान का विडियो लिंक:
https://www.youtube.com/user/nehruememoriallibrary
CBC 09142/12/0020/2324

पंजाब नैशनल बैंक
..... परसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
punjab national bank
...the name you can BANK upon!
मण्डल शास्त्रा, गाजियाबाद,
केजे-13, कविवरगढ़, गाजियाबाद - 201001,
मो. : 9971720088, ई-मेल: cs8228@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु विक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्थितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटित दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंका/प्रभारित हैं, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंट(रों), आरक्षित न्यून और घरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम	(E) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि	अचल सम्पत्तियों का विवरण - बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	(A) आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि एवं समय	प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण
		(F) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि		(B) ईएमपी		
		(G) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि		(C) बोली वृद्धि राशि		
		(H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक		(C) बोली वृद्धि राशि		
1	लोहा नंजी (613300) मैसर्स वीनस ट्रेडिंग (प्रोप) श्री हबीब खान पुत्र स्व. नन्हे खान, निवासी-फ्लैट नं. एच सी-1/13 भूल्ल, टाडप-1 एमआईजी बिल्डिंग नं. 1 ब्लॉक एच, लाजपत नगर गाजियाबाद, यू.पी. और एल-76, लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद यू.पी.	(E) 24.12.2019 (F) 18.03.2020 (G) रु. 21,41,795.24 + ब्याज एवं अन्य प्रभार (H) सांकेतिक	सम्पत्ति का वह सम्पत्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. H C-1/13 भूल्ल, टाईप-1, एमआईजी फ्लैट नं. सी1, ब्लॉक-एच (बिना छत के अधिकार) को लाजपत अपार्टमेंट, लाजपत नगर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, कवरड/सुपर बेडरूम 102, 18 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री हबीब खान के नाम पर है। चौदही: उत्तर में - 16 चौड़ा रास्ता, पश्चिम में - फ्लैट नं. 1 / 14, उत्तर में - गार्डेन एरिया, दक्षिण में - सामान्य स्पेस और सीढ़ियाँ	रु. 60.77 लाख रु. 6.08 लाख रु. 0.25 लाख	20-07-2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्धाह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
2	लोहा नंजी (613300) श्रीमती पुनम जयसवाल एवं प्रेम नाथ जयसवाल, फ्लॉट नं. 2बी/861, सेक्टर-2बी वसुंधरा गाजियाबाद-201012, और श्री प्रेम नाथ जयसवाल पुत्र स्व. सहदेव प्रसाद जयसवाल, फ्लॉट नं. 2बी/861, सेक्टर-2बी, वसुंधरा गाजियाबाद - 201012	(E) 05.03.2019 (F) 12.10.2021 (G) रु. 27,58,786/- + ब्याज एवं अन्य प्रभार (H) भौतिक	सम्पत्ति का वह सम्पत्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट फ्लॉट नं. 2B/861 भूल्ल, (बिना छत के अधिकार) के सेक्टर-2बी, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, कवरड एरिया 52.00 वर्ग मी. यह सम्पत्ति पुनम जयसवाल के नाम पर है। चौदही: उत्तर में - फ्लॉट नं. 2बी/862, पश्चिम में - फ्लॉट नं. 2बी/860, उत्तर में - 6मी चौड़ी रोड, पश्चिम में - फ्लॉट नं. 2बी/860	रु. 26.60 लाख रु. 2.66 लाख रु. 0.25 लाख	03-08-2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्धाह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के सविधानियम एवं शर्तें: (1) बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमबली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (2) सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (3) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषण में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (4) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट <https://www.msstcecommerce.com> के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स पर: www.ibapi.in, www.msstcecommerce.com, <https://eprocure.gov.in/epublish/app>, देखें। (6) सभी साप्ताहिक बकाया/अडैप्टेड शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया खरीदारों को वहन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ऋणभार में सहभागीकर सरकार या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में बैंक को ज्ञात नहीं है इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे केवाईसी देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, विजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पृष्ठताक करें।

सराफ़ी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक: 01-07-2023, स्थान : गाजियाबाद

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, 9971720088, (प्राधिकृत अधिकारी), पंजाब नेशनल बैंक

GOOD YEAR
गुडईयर इंडिया लिमिटेड
(CIN: L25111HR1961PLC008578)
पंजीकृत कार्यालय: मथुरा रोड, बल्लबगढ़ (जिला फरीदाबाद)—121004, हरियाणा, भारत फोन: 0129—6611000
ईमेल : goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाइट : www.goodyear.co.in

62वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") की 62वीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम") बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को 10.00 बजे पूर्वा. भारतीय मानक समय (आईएसटी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा अंतर्गत नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र नं 10/2022 तिथि 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित परिपत्र नं 14/2020 तिथि 8 अप्रैल 2020, परिपत्र नं 17/2020 तिथि 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 तिथि 05 मई 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र नं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र नं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 तथा परिपत्र नं SEBI/HO/CFD/PoD-2/PICIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

2. एजीएम की सूचना तथा उस पर निर्देशक मंडल तथा ऑडिटर्स के रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये उसमें अंकेषित वित्तीय विवरणों सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट इमेल द्वारा केवल ऐसे सभी सदस्यों को ही भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी/डिर्भाजितरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने तथा रिपोर्ट ई-वोटिंग में भाग लेने अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की शक्ति एजीएम की सूचना में प्रावधानित हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.goodyear.co.in/investor-relations तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

3. ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट कराने की रीति:
(क) भौतिक प्रारूप में शेर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कम्पनी के ई-मेल पते goodyearindia_investorcell@goodyear.com या आरटीए के पास srikant@skylinerta.com साइट फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रन्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग सहित एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा/अथवा रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त कर सकते हैं तथा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
(ख) जिन सदस्यों के शेयर डीमैट प्रारूप में हैं और जिन्होंने अपनी ई-मेल पते डिर्भाजितरी भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपने डिर्भाजितरी के साथ अपनी ई-मेल पंजीकृत/अपडेट करा सकते हैं।

4. लाभांश प्राप्त करने हेतु ईमेल पंजीकृत करने की रीति:
(क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) अथवा किसी अन्य माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में लाभांश ग्रहण करने हेतु अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश ग्रहण करने हेतु कम्पनी के ईमेल पते goodyearindia_investorcell@goodyear.com या आरटीए के पास srikant@skylinerta.com एजीएम की सूचना के साथ संलग्न ईसीएस ईमेल प्रपत्र में वांछित विवरण की स्कैन की गई प्रति भेजकर अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक ईमेल पंजीकृत करा सकते हैं।
(ख) डीमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने डिर्भाजितरी भागीदारों के साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक ईमेल अपडेट करा लें।

5. सदस्यों के रजिस्टर्ड तथा कम्पनी के शेयर अंतरण पुस्तिका लाभांश के भुगतान तथा एजीएम के उद्देश्य से कम्पनी के लिए गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 से बुधवार, 02 अगस्त, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेगा। यदि अनुमोदित होता है तो लाभांश उन सदस्यों को प्रदान किया जाएगा जिनके नाम 26 जुलाई, 2023 तक कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

6. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 01 अप्रैल, 2020 से सदस्यों को प्राप्त लाभांश आय कर योग्य है और कम्पनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को प्रवृत्त लाभांश से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित दरों हेतु सदस्य कृपया वित्त अधिनियम, 2023 तथा उसके संशोधनों का सन्दर्भ लें। सदस्य कृपया कम्पनी/इसके आरटीए (भौतिक माध्यम में धारिता के मामले में) और डिर्भाजितरी पार्टिसिपेंट (डीमैट माध्यम में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करा लें। अधिक विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना की टिप्पणियों का सन्दर्भ लें।

7. यदि बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी यदि किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान न कर पाये तो कम्पनी ऐसे शेयरधारकों के पास डाक द्वारा लाभांश वारंट भेजेगी।

गुडईयर इंडिया लिमिटेड के लिए
ह./—
अनूप कर्णवाल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 30 जून, 2023
स्थान : नई दिल्ली

GOOD YEAR
गुडईयर इंडिया लिमिटेड
(CIN: L25111HR1961PLC008578)
पंजीकृत कार्यालय: मथुरा रोड, बल्लबगढ़ (जिला फरीदाबाद)—121004, हरियाणा, भारत फोन: 0129—6611000
ईमेल : goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाइट : www.goodyear.co.in

कम्पनी के शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईडीपीएफ") प्राधिकरण में अंतरिम के लिए सार्वजनिक सूचना

समय-समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 ("आईडीपीएफ नियम") के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123, 124 और 125 के अनुसार, ऐसे सदस्य, जिन्होंने कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2016 (01 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2016 तक 15 माह की अवधि) के लिए 31 अगस्त, 2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में घोषित किये गये पिछले 7 लगातार वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द पिछले 7 वर्षों के लिए अपने संबंधित दावा न किये गये लाभांश का दावा करें, लेकिन नियत तारीख 5 अक्टूबर, 2023 से पहले, जिसके विफल होने पर, अंतर्निहित शेयर जिनके संबंध में वतीय वर्ष 2015-16 से लगातार 7 वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

उक्त लाभांश और शेयरों के ऊपर दावा करने की प्रक्रिया :
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जिन सदस्यों ने पिछले 7 वर्षों से लगातार अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और उसका दावा करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया आवश्यक विवरण (अर्थात् फोलियो नंबर, डीपी - आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर (यदि कोई हो), वर्तमान पता, ईमेल आईडी और संपर्क नंबर और लाभांश वारंट आदि की गैर-प्राप्ति का विवरण, देय तिथि 05 अक्टूबर, 2023 से पहले, कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (अर्थात् मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को निम्नलिखित विवरण पर प्रदान करें :

श्री अनूप कर्णवाल कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी गुडईयर इंडिया लिमिटेड, मथुरा रोड, बल्लबगढ़, फरीदाबाद -121004, हरियाणा फोन - 0129-6611000 ईमेल: goodyearindia_investorcell@goodyear.com	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट : मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (इकाई : गुडईयर इंडिया लिमिटेड) डी-153/ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110 020, भारत। फोन: 9111-40450193-97 ईमेल : info@skylinerta.com
--	---

दावा न किए गए लाभांश और हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करने के लिए सदस्य कृपया <https://www.goodyear.co.in/investor-relations> पर वेब लिंक देखें। कम्पनी ने ऐसे प्रत्येक शेयरधारकों को व्यक्तिगत पत्राचार भी भेजा है। जिनके शेयर आईडीपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित हो सकते हैं।
ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ, यदि कोई हों, राइट इश्यू को छोड़कर, जैसे, लाभांश, बोनस शेयर, विभाजन, समेकन, अंश शेयर आदि भी नियमों के अनुपालन में आईडीपीएफ में अंतरित किए जाएंगे।

अंत: आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर दी गई निर्धारित तिथि के बाद, कम्पनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे दावों के संबंध में कोई भुगतान किया जाएगा, हालांकि आपके पास आईडीपीएफ वेबसाइट [http://www.iepf.gov.in/](http://www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध आईडीपीएफ नियमों में निर्धारित तरीके से आईडीपीएफ प्राधिकरण से उक्त राशि को वापस लेने का अधिकार होगा।

किसी स्पष्टीकरण या सूचना के मामले में सदस्य नीचे दिए गये हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

गुडईयर इंडिया लिमिटेड के लिए
ह./—
अनूप कर्णवाल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी

तिथि : 30 जून, 2023
स्थान : नई दिल्ली